फार्म I.U. III

फर्दअहकाम

(नियम 26)

G.C.M.S. no. — 2021/379

अज अदालत **न्यायालय जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़** मुकाम **चित्तौड़गढ**

विकास कुमावत बनाम **सरकार**

किस्म मुकदमा **विविध प्रार्थना पत्र** नं० **246** सन् **2021**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्सजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
14 SEP 2021	पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी एवं सहायक लोक अभियोजक उपस्थित। प्रकरण में जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप वाहन संख्या **RJ 06 GA 8628** को सिपुर्दगी पर दिये जाने हेतु प्रार्थी विकास कुमार पिता पृथ्वीराज कुमावत निवासी रानीखेडा पुलिस थाना सदर निम्बाहेडा जिला चित्तौड़गढ़ वाहन स्वामी ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिस पर थानाधिकारी, कोतवाली, निम्बाहेडा से कमेन्ट्स मय केस डायरी के प्राप्त किए गए। इस पर थानाधिकारी पुलिस थाना कोतावाली निम्बाहेडा द्वारा पत्रांक/4145 सदिनांक 24.08.2021 से टिप्पणी मय केस डायरी के प्रेषित की गई जो कि पत्रावली के हम किता है। अधिवक्ता प्रार्थी ने वाहन के खाली होने से अनुसंधान में आवश्यकता नहीं होना बताया एवं जमानत एवं सिपुर्दगी पर न्यायालय द्वारा विहित शर्तो पर वाहन स्वामी को सुपुर्द करने बाबत निवेदन किया। सहायक लोक अभियोजक ने कथन किया कि जब्तशुदा वाहन को रिलिज करने पर पुनः अवैध कारोबार में काम लेने की पूर्ण सम्भावना है। अतः जब्तशुदा वाहन प्रार्थी को सुपुर्द नही किया जावे। हमने पत्रावली का अवलोकन कर उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। थानाधिकारी, पुलिस थाना कोतवाली निम्बाहेडा से प्राप्त कमेन्ट्स में उन्होने जब्तशुदा वाहन महिन्द्रा पिकअप रजिस्ट्रेशन संख्या **RJ 06 GA 8628** के संबंध में अनुसंधान पूर्ण किया जाना अवगत कराया गया है। चूंकि वाहन पिकअप बोलरो संख्या **RJ 06 GA 8628** की अनुसंधान में आवश्यकता नहीं है। अतः आठ लाख रूपये के जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा प्रस्तुत करने पर विधिक स्वामी को सौंपे जाने के आदेश दिए जाते हैं। पुलिस थानाधिकारी कोतवाली निम्बाहेडा से प्राप्त केस डायरी लौटाई जावें। पत्रावली प्रार्थी द्वारा जमानतनामा एवं सिपुर्दगीनामा पेश होने पर पुनः पेश हो। (तारा चन्द मीणा) कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट चित्तौड़गढ़	

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official